

हिमाचल प्रदेश सरकार  
कार्मिक विभाग (नि०-III)

.....

संख्या: पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-II

तारीख शिमला-02,

14.01.2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-II, तारीख 16 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग- III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।  
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उपाबन्ध-"क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध-"क" में:-  
स्तम्भ संख्या: 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) अनिवार्य अर्हता (ए):

- (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  
(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में कम से कम एक वर्ष

की अवधि का डिप्लोमा।

या

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाईलिट) से 'ओ' या 'ए' स्तर का डिप्लोमा।

या

किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) में डिप्लोमा।

(iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो:

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयनित/भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी इसके बजाय, उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केंद्र (सी.आर.सी.), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.वी.एच.), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी0टी0सी0), लुधियाना के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा, जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तथापि, उन पदधारियों को जो पहले से ही सेवारत हैं, पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण-परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण:- पद "दिव्यांगजन" के अन्तर्गत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित हैं, किन्तु उसके अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निःशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित

करती है।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कंप्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होगा।

(ख) वांछनीय अर्हता(ए):

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।”।

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक),  
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-II Dated 14-01-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh  
Department of Personnel (AP-III)

\*\*\*

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-II      Dated:      Shimla-02,      14-01- 2019.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3)-1/2007-II dated 16<sup>th</sup> September, 2017, namely:-

Short title and Commencement      1.      (1)      These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2019.

(2)      They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, (e-Gazette) Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A      2.      In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion Rules, 2017:-

For the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:-

“(a) **ESSENTIAL QUALIFICATION(S):**

(i) 10+2 from a recognized Board of School Education.

(ii) Diploma of minimum one year duration in Computer Science/ Computer Application/ Information Technology from an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.

OR

“O” or “A” level Diploma from National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT).

OR

Diploma in Information Technology (IT) from an Industrial Training Institute (ITI).

(iii) Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.

Provided that visually impaired persons selected/recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/ Computer Application/Information Technology and passing of typing test instead they shall be imparted  
(iv) necessary basic training including computer training course by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training for which three chances will be afforded.

If the incumbent fails to qualify the same his/ her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:

Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical

post as certified being unable to type, by the Medical Board, may be exempted from passing the typing test.

**Explanation:-** The term, "differently abled persons" does not cover visually impaired persons or persons who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/ deformity permanently prevents them from typing.

The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATION(S):**

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."

By order,

R.D.Dhiman  
Addl. Chief Secretary (Personnel) to the  
Government of Himachal Pradesh

\*\*\*